



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



संख्या : एच. आर. डी./3(2)2012/एसपीएफ/

दिनांक: 27 OCT 2025

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)-अंचल
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्र.) सहित सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल),
निदेशक (पीडीनास),
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

विषय : Revised rate of interest for Q3 with regard to Staff Provident Fund in EPFO- regarding.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) से जारी संकल्प संख्या 5(3)-बी (पी. डी.)/2023 दिनांक 10-10-2025 की प्रति उचित कार्यवाही/ लागू करने हेतु सलंग्न है।

सलंग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि:

1. - केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रधान निजी सचिव
2. - सभी EC / CBT सदस्य
3. - वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के प्रधान निजी सचिव
4. - मुख्य सतकर्ता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव / सभी उप निदेशक, सतकर्ता
5. - मुख्य अभियंता के निजी सचिव
6. - प्रभारी अधिकारी, सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान
7. - सभी आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी
8. - मुख्यालय के सभी अधिकारी / सभी निजी सचिव / सभी अनुभाग अधिकारी
9. - महासचिव, ई.पी.एफ. ऑफिसर्स एसोसिएशन
10. - महासचिव, आल इंडिया ई.पी.एफ. स्टाफ फेडरेशन
11. - महासचिव, आल इंडिया ई.पी.एफ. एम्प्लाइज संघ
12. - महासचिव, आल इंडिया ई.पी.एफ. एस.सी/एस.टी फेडरेशन
13. - क्षे.भ.नि.आ. (एन.डी.सी.) वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
14. - गार्ड फाइल
15. - हिन्दी अनुभाग

भवदीय,
27/10/25
(सौरभ त्रिपाठी)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (एच.आर.डी-I)

(सौरभ त्रिपाठी)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (एच.आर.डी-I)

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)
एफ.नं. 5(3)-बी(पी.डी.)/2023
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक: 10 अक्टूबर, 2025

- आम जनकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2025-26 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिलेखाओं की कुल जमा राशियों पर दो जमा वाली व्याज दर 1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:
1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
 2. अंधाधो भविष्य निधि (भारत)।
 3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
 4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
 5. सामान्य भविष्य निधि (राजा सेवाएं)।
 6. भारतीय आयुर्विभाग भविष्य निधि।
 7. भारतीय आयुर्विभाग कारखाना कामगार भविष्य निधि।
 8. भारतीय नौसेना गोदो कामगार भविष्य निधि।
 9. राजा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
 10. सशस्त्र सेना कर्जित भविष्य निधि।
 2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(व्यसन आर.)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(व्यसन मै.)
Joint Secretary to the Govt. of India

- सेवा में,
प्रदेशक, (तकनीकी शाखा)
भारत सरकार, मुद्रणालय,
मिंटो रोड, दिल्ली।
फा.नं. 5(3)-बी(पी.डी.)/2023
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निवर्तित आयोग और निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषित:-
1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनके निबंधाधीन सभी कार्यालय।
 2. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
 3. महालेखा नियंत्रक (10 प्रतिभा)।
 4. कार्यालय, लोक सचिव और पेंशन मंत्रालय (पेंशन यूनिट/अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
 5. मंत्रालय/विभागों के वित्तीय सलाहकार (6 प्रतिभा)।
 6. मंत्रालय/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक।
 7. राजा सेवा मंत्रालय।
 8. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
 9. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-राज्यपाल।
 10. सचिव स्टाफ एस. राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
 11. सभी सदस्य स्टाफ एस. राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
 12. एनआईसी वेबसाइट हेतु।

(लेखा तायर)
उप निदेशक

(TO BE PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)

F.No. 5(3)-B(PD)/2023
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)

New Delhi, the 10 October, 2025

RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2025-26, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st October, 2025 to 31st December, 2025. This rate will be in force w.e.f. 1 October, 2025. The funds concerned are:

1. The General Provident Fund (General Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workers' Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workers' Provident Fund.
9. The Defence Services Officers' Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

To,
The Manager, (Technical Branch)
Government of India Press, Minilo Road, Delhi.

F.No.5(3)-B(PD)/2023

Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITI Aayog.

Copy also forwarded to :

1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
2. Chairman, Pension Fund Regulator and Development Authority.
3. Controller General of Accounts (10 copies).
4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
5. Financial Adviser of Ministries/Departments (6 copies).
6. Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
7. Controller General of Defence Accounts.
8. Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
9. Secretary to Government/Lt. Governors of all States/Union Territories.
10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
11. All Members, Staff Side, National Council of JCM.
12. NIC - For uploading on webhost.

(लेखना नायर)
Deputy Director